न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामखिलाड़ी बनाम मत्थी मु.नं.– 70/23 किस्म – T.E.	
	8/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.E दिनांक 03.6.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा) 03.06.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रा.पत्र T.E पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.E दिनांक 26.6.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा) 26/6/25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली यथास्थिति दिनांक 24/7/25 को पेश हो। 24/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेश प्रा.पत्र T.E लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली यथास्थिति वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.E दिनांक 12.8.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंण्डावर (दौसा) 12.8.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामखिलाड़ी बनाम नत्थी मु.नं.– 70/23 किस्म – 7·8	
	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
70/2023	17.11.2023	12.08.2025

बउनवान

1. रामखिलाडी बैरवा पुत्र बाबूलाल, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी/सायल

बनाम

1. नत्थी लाल पुत्र सम्पत, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. करण पुत्र श्योदान, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. श्रीमती चन्दी देवी पत्नी श्योदान, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. जगदीश पुत्र बाबूलाल, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. दिनेश पुत्र श्योदान, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. प्रभू पुत्र बाबूलाल, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. बिजेन्द्र पुत्र श्योदान, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. भवानी पुत्र श्योदान, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. मंगतू पुत्र अर्जन, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
10. मूली पत्नी बाबूलाल, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
11. रमेश पुत्र दीपू, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
12. रामकिशन पुत्र भम्बू, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
13. लालचन्द पुत्र अर्जन, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
14. शांति देवी पत्नी छोट्या, निवासी ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
15. राजेश कुमार पुत्र परभाती, निवासी बिवाई, तहसील बसवा, दौसा।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री मधुसूदन सैनी।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 9 – श्री ओ. पी. कुण्डारा।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खसरा सं. 575 रकबा 0.32 हैक्टे., 576 रकबा 0.20 हैक्टे., 577 रकबा 0.14 हैक्टे., 578 रकबा 0.14 हैक्टे., 579 रकबा 0.25 हैक्टे., 581 रकबा 0.13 हैक्टे., 582 रकबा 0.13 हैक्टे., 583 रकबा 0.14 हैक्टे., 584 रकबा 0.13 हैक्टे., 585 रकबा 0.20 हैक्टे., 587 रकबा 0.05 हैक्टे.,

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

588 रकबा 0.06 हैक्टे., 589 रकबा 0.01 हैक्टे., 590 रकबा 0.36 हैक्टे., 592 रकबा 0.10 हैक्टे., 593 रकबा 0.08 हैक्टे., 594 रकबा 0.42 हैक्टे., 635 रकबा 0.36 हैक्टे., 636 रकबा 0.55 हैक्टे., कुल किता 19, कुल रकबा 3.77 हैक्टे. ग्राम ऐदलपुर, पटवार हल्का बनावड, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 15 की कब्जे काश्त व खातेदारी की संयुक्त भूमि है जिसको मनबंट के अनुसार सभी खातेदार बोते–जोतते चले आ रहे हैं। विवादित आराजीयात का अभी तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। विवादग्रस्त आराजीयात में सायल का 1/48 हिस्सा जमाबंदी में मौजूद है। सायल ने अपनी रहवास व कृषि हेतु खसरा सं. 579 में निर्माण कर रखा है, रास्ता व सायल का कब्जाशुदा एवं खातेदारी खसरा सं. 579 के बीच में गैरसायल सं. 1 का कब्जेशुदा खेत खसरा सं. 581 है जिसमें होकर सायल अपने बुजुर्गों के समय से आता जाता रहा है एवं कृषि यन्त्रों को लेकर जाता था। गैरसायल सं. 1 झगडालू एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो आये दिन सायल एवं सायल के परिवार से गाली गलौच व लडाई झगडा करता रहता है तथा सडक से खसरा सं. 579 में आने–जाने वाले रास्ते में निकलने नहीं देता है। रास्ते में ढांकरे लगाकर बन्द कर देता है जिससे सायल को अपने खेत तक जाने के लिये दूसरे व्यक्ति के खेतों में होकर निकलने के लिये जी हजूरी करने पडती है। सायल ने कई बार गैरसायल सं. 1 से कहा कि भाई खसरा सं. 581 में होकर मुझे रास्ता दे दो और आप रास्ते की जमीन को मेरे खसरा सं. 579 में से ले लो, सभी खातेदारों को अपनी–अपनी आराजी पर जाने के लिये रास्ता हो जायेगा और बाकी सभी जमीन का हिस्सेनुसार बराबर विभाजन कर लेते हैं तथा सभी खेतों को रास्ता निकाल कर कानूनी तकास्मा करवा लेते हैं जिस पर गैरसायल सं. 1 ने लडाई झगडा किया और न तो भूमि बराबर की, न ही रास्ता दिया। दिनांक 05.11.2023 को सायल अपनी आराजी खसरा सं. 579 पर सडक से रास्ते में होकर खसरा सं. 581 में होकर आ रहा था कि अचानक गैरसायल सं. 1 गाली गलोच देते हुये कहने लगा कि अब तक तो तू इस रास्ते में होकर निकल लिया, आज के बाद तुझे इस रास्ते से नहीं निकलने दूंगा। यदि तू नहीं माना तो तेरे हाथ पैर तोडकर जान से मरवा दूंगा जिस पर सायल ने कहा कि यह सभी जमीन हमारी शामलाती है और इसका अभी तक कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है। इसलिये सभी भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का हिस्सा है, तुम मेरा न तो रास्ता बन्द कर सकते, ना ही मेरे हिस्से की भूमि पर कब्जा कर सकते तथा किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान भी नहीं कर सकते। इसलिये पहले सभी भूमि का रास्तों को छोडते हुये अच्छी में से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी, सरस एवं निरस मीट्स एण्ड बाउण्ड कानूनी तकास्मा करवा लेते हैं जिस पर सभ गैरसायलान एकदम नाराज हो गये और ऐलानिया धमकी दी एवं कानूनी तकास्मा हेतु साफ इन्कार कर दिया। यदि गैरसायलान अपनी उक्त नापाक धमकियों में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं सायल को अपने हक हकूकों से हमेशा के लिये वंचित होना पड़ेगा। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल विरुद्ध गैरसायलान पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2023 को गैरसायलान द्वारा सायल को रास्ते में होकर नहीं निकलने देने एवं रास्ता बन्द कर कानूनी बंटवारा कराने से साफ इन्कार करने पर ग्राम ऐदलपुर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में पैदा हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को अपनी आराजी पर आने जाने के लिये रास्ता अवरूद्ध हो जायेगा एवं गैरसायलान बिना तकास्मा कराये ही संयुक्त आराजी को रहन, बेचान करने पर आमादा हैं जिससे सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जबकि गैर सायलान को पाबंद किया जाता है तो इन्हें किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है। अतः अर्ज है कि दौराने दावा, अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि गैरसायलान विवादग्रस्त आराजीयात में सायल के हिस्से 1/48 में किसी प्रकार की कोई मजाहमत, मदाखलत पैदा न तो स्वयं करें, ना ही दीगर व्यक्तियों से करावे। सायल की रहबास व कृषि भूमि एवं पशु आदि के लिये बनाये गये आवास खेत खसरा सं. 579 में आने जाने हेतु खसरा सं. 581 में से जा रहे रास्ते में कोई रूकावट व व्यवधान पैदा नहीं करें। उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करें। रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाय रखे।

2. प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पन्जीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 9 उपस्थित हुये। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभय पक्षकारान अभिभाषक की बहस को सुना। दिनांक 19.12.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि उभय पक्ष ग्राम ऐदलपुर, पटवार हल्का बनावड, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 575 लगायत 579, 581 लगायत 585, 587 लगायत 590, 592 लगायत 594, 635, 636 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। इसके साथ ही अप्रार्थी सं. 1 लगायत 15 प्रार्थी को उसके घर तक पहुँचने के लिये मौके पर चालू रास्ते को अवरुद्ध नहीं करे।

3. नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थी सं. 2 लगायत 8, 10, 11 लगायत 16 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. अप्रार्थी सं. 1 व 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि गैरसायल द्वारा कभी भी किसी का रास्ता नहीं रोका गया, न ही किसी को ऐलानिया धमकी दी। सायल झगडालू व आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति होने से बिना किसी कारण खातेदारों से झगडा–फसाद करता रहता है। दिनांक 05.11.2023 को गैरसायल का सायल से कोई झगडा नहीं हुआ व रास्ता बन्द करने की धमकी नहीं दी गयी, सम्पूर्ण तथ्य कपोल कल्पित दर्ज किये गये हैं। गैरसायल ने सायल से कभी कोई झगडा नहीं किया। सायल स्वयं झगडालू एवं आपराधिक प्रवृति का होने से आये दिन स्वयं व अपनी महिलाओं से गैरसायल व अन्य खातेदारों पर झूठे व मनगढन्त मुकदमें करवाता रहता है। गैरसायल ने कभी भी सायल व अन्य खातेदारों को कानूनी विभाजन के लिये मना नहीं किया। कब्जे व हिस्से अनुसार समस्त विवादग्रस्त भूमि का बँटवारा करने में गैरसायल को कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी सायल द्वारा कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

किया गया है । अतः निवेदन है कि गैरसायल का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सायल का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज करने के आदेश करें।

5. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि:–

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, विवादित आराजीयात का प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजीयात का वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी के आवागमन के मार्ग में अप्रार्थीगण के द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है तथा मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक, विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐदलपुर, पटवार हल्का बनावड, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 575 लगायत 579, 581 लगायत 585, 587 लगायत 590, 592 लगायत 594, 635, 636 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 19.12.2023 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके घर तक पहुँचने के लिये मौके पर चालू रास्ते को अवरुद्ध नहीं करेंगे। प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान नहीं करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 12.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)